



सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX
हैदराबाद । आयुक्तालय HYDERABAD-I COMMISSIONERATE

केंद्रीय शुल्क भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
KENDRIYA SHULK BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.No.II/3/12/2017-Estt.

Date: 16-06-2017

स्थापना आदेश ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) NO. 41/2017

विषय: स्था.- केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति की अनुमानित तारीख-
वरिष्ठता

का निर्धारण - संबन्धित

Sub:- Estt. – Deemed date of Promotion to the Cadre of Superintendent of
Central Excise- Shri C.S.Srinivas – Fixation of Seniority – Reg.

* * * * *

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/4/91 Estt(A) दिनांक 14-09-1992 के अनुसार श्री सी.एस.श्रीनिवास, निरीक्षक को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , वर्ग "ख" (राजपत्रित) के अधीक्षक के संवर्ग में दिनांक 30-09-2014 (अनुमानित तारीख), जिस तारीख को उनसे कनिष्ठ श्री एम.श्रीनिवासा राव (मड्डीनेनी) को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था, उस दिन से पदोन्नत माना जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता एम.श्रीनिवासा राव से ऊपर और श्री वाई.श्रीनिवासा राव के नीचे निर्धारित की जाती है।

In terms of DOP&T O.M.No 22011/4/91 Estt(A) dated 14-09-1992, Shri C.S.Srinivas, Inspector is promoted to the cadre of Superintendent of Central Excise, Group 'B' (Gazetted) with effect from 30-09-2014 (Deemed Date), from the date on which his immediate junior Shri M.Srinivasa Rao (Maddineni) was promoted as Superintendent. His seniority in the cadre of Superintendent of Central Excise is fixed above Shri M.Srinivasa Rao and below Shri Y.Srinivasa Rao. He is entitled for arrears of Pay and allowances w.e.f 30-09-2014.

2. उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि वे FR-22(a)(i) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए कार्यभार ग्रहण की तारीख से एक महीने में विकल्प चुन सकती हैं।

He is also informed that, he may exercise option within one month from the date of assumption of charge for fixation of pay under FR-22(a)(i).

3. इस अधिकारी की पदोन्नति माननीय किसी भी न्यायिक फोरम के समक्ष वरीयता / पदोन्नति के मामले में अन्य मुकदमे के निर्णय की शर्तों के आधार पर होगी।

The promotion of the officer is subject to outcome of cases pending on the issue of seniority / promotion before any judicial forum.

4. उपरोक्त पदोन्नति के परिणामस्वरूप, अधिकारी को विसखपटनम क्षेत्र को आबंटित किया जाता है।

Consequent on the above promotion, officer is allotted to Visakhapatnam Zone.

ह

(संदीप एम भटनागर Sandeep M.Bhatnagar)

प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individual

(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद / विसखपटनम क्षेत्र।
The Chief Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax,
Hyderabad/Visakhapatnam zone.

2. सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/ विसखपटनम क्षेत्र

All the Principal Commissioner/ Commissioners of Customs, Central Excise & Service Tax, Hyderabad/Visakhapatnam Zone.

3. अवर सचिव Ad-IIB, भारत सरकार, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली को उनके दिनांक 16-09-2010 के पत्र F.No.C-18012/6/2009-Ad.IIB के संदर्भ में।

The Under Secretary Ad-IIB, Govt. of India, Central Board of Excise and Customs,
New Delhi reference to letter F.No.C-18012/6/2009-Ad.IIB dt.16-09-2010.

4. सीएओ/पीएओ, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद / विसखपटनम क्षेत्र।
The CAO/PAO, Central Excise & Service Tax, Hyderabad/Visakhapatnam Zone.

5. महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, वर्ग 'ख' राजपत्रित (कार्यकारी) अधिकारी-संगठन, हैदराबाद क्षेत्र.

The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Gazetted (Executive) officers' Association, Hyderabad Zone.

6. महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, अनु. जा. /अनु. जन. कर्मचारी कल्याण संगठन, हैदराबाद क्षेत्र

The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC / ST Employees Welfare Association, Hyderabad Zone.

7. सूचना बोर्ड/ स्टॉक फ़ाइल

Notice Board / Stock File.



(वी.वसुधा प्रसाद राव V.VASUDHA PRASADA RAO)

संयुक्त आयुक्त (का व स)

Joint Commissioner (P&V)

